कुलसचिव कार्यालय
लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ—226007
(नैक द्वारा ए++ ग्रेड प्रत्यायित)

संदर्भ संख्या : R/327 – /सम्ब.अनु./2023

दिनांक : 13.06.2023

रजिस्टर्ड/स्पीडपोस्ट/व्यक्तिगत

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज,
लखनऊ।

महोदय,

कृपया स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0एस–सी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) **पाठ्यक्रम** की अस्थायी सहयुक्तता प्रदान किये जाने विषयक स्थलीय निरीक्षणोपरान्त प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत **बी0एस–सी0 पाठ्यक्रम** की **अस्थायी सहयुक्तता** हेतु गठित निरीक्षण मण्डल की प्राप्त स्थलीय निरीक्षण आख्या में प्राप्त संस्तुति एवं महाविद्यालय के प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में कार्य परिषद की बैठक दिनांक **08.06.2023** के विनिश्चय संख्या : **2023/03/13 (33)** द्वारा **बी0एस–सी0** (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) **पाठ्यक्रम** में सत्र **2023–24** से **तीन वर्षों** हेतु **अस्थायी सहयुक्तता** अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर दी गयी है :–

1. **विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सहयुक्तता शुल्क**(पाठ्यक्रम हेतु रू0 एक लाख एवं अतिरिक्त विषय हेतु रू0 पचास हजार+18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित) **विश्वविद्यालय के खाते में ऑनलाइन जमा कर उसकी रसीद की प्रति प्रवेश की अनुमति से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी अन्यथा की स्थिति में प्रदान की गयी सहयुक्तता स्वतः निरस्त मानी जायेगी।**
2. **मानकानुसार शिक्षकों का अनुमोदन प्राप्त कर प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी। प्रवेश की अनुमति के बिना यदि प्रवेश लिया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उनकी परीक्षायें नहीं करायी जायेगी जिसके लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा।**
3. समय–समय पर उ0प्र0 शासन व विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
4. प्राचार्य एवं प्रवक्ताओं का अनुमोदन विश्वविद्यालय से प्राप्त कर उनके वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से किया जायेगा।
5. महाविद्यालय की वेबसाईट तथा विश्वविद्यालय के यू0डी0आर0सी0 पोर्टल पर प्राचार्य व प्रवक्ताओं का पूर्ण विवरण प्रत्येक दशा में अपलोड किया जायेगा।
6. महाविद्यालय द्वारा छात्र/शिक्षकों का अनुपात बनाये रखा जायेगा।
7. संस्थान द्वारा प्रवेश व परीक्षा आदि के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
13-6-23
(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, सेक्टर–एम, आशियाना, लखनऊ।
2. गार्ड फाईल।

कुलसचिव